प्रेस नोट **जनपद रामपुर** **दिनांक 28.09.2021**

twitter-@rampurpolice FB-रामपुर पुलिस Telegram-@rampurpolice

थाना मिलक :—लूट करने वाला अभियुक्त लूटी गयी ई—रिक्शा के साथ मात्र 12 घन्टे के अन्दर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार—

दिनांक 28—09—2021 को श्री जाहिद पुत्र श्री वाहिद हुसैन निवासी मौ0 जिलेदारान कस्बा व थाना शाहबाद, रामपुर को थाना मिलक पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 27—09—2021 को इरशाद पुत्र जाबिर हुसैन निवासी ग्राम गनेश घाट थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद उसके बेटे साहिल के ई—रिक्शा को नई बाजार कस्बा शाहबाद से अमरूद लाने के बहाने किराये पर रामगंगा पुल के पास ले गया था तथा रामगंगा पुल शाहबाद रोड के पास इरशाद ने उसके बेटे को डन्डे से मारा पीटा और उसका ई—रिक्शा, मोबाईल फोन व 1200 रुपये लूट कर ले गया। इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर मु0अ0सं0—369/21 धारा 394 भादवि बनाम इरशाद पंजीकृत हुआ था।

इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मिलक के नेतृत्व में थाना मिलक पुलिस द्वारा **मात्र 12 घण्टे के अन्दर** ही लूट के आरोपी **इरशाद पुत्र जाबिर हुसैन निवासी ग्राम गनेश घाट थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद** को करीमगंज पुलिया के पास पटवाई रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **लूटा गया ई—रिक्शा, घटना में प्रयुक्त 01 डन्डा व लूटे गये रुपयों में से 500 रुपये नकद** बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

इरशाद पुत्र जाबिर हुसैन निवासी ग्राम गनेश घाट थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी—

01— लूटा गया ई—रिक्शा,

02— घटना में प्रयुक्त 01 डन्डा,

03— लूटे गये रुपयों में से 500 रुपये नकद बरामद।

पूछताछ—

गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद द्वारा पूछताछ में बताया गया किया मैं नशे का आदि हूँ, मैंने पैसों की पूर्ति के लिए झूठ बोलकर ई—रिक्शा किराये पर बुक किया था तथा रामगंगा पुल शाहबाद रोड के पास जाकर साहिल को डन्डे से मारा पीटा और उसके ई—रिक्शा व अन्य सामान को लूट लिया था।

आपराधिक इतिहास—

गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही—

मु0अ0सं0—369/21 धारा 394,411 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

01— उ0नि0 सुरेन्द्र पाल कन्नौजिया,

02— हे0का0 503 राहुल कुमार,

03— का0 112 सुरेश कुमार।